फर्द अहकाम

प्रहलाद बनाम चन्द्रमोहन

...ालय SDO II सांगानेर

...या 48/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. प्रकरण में TDR सांगानेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्षो ने कुर्रेजात डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 48 / 2024
निर्णय दिनांक : 24.03.2025

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिलाजयपुर।

–वादी

बनाम

1. चन्द्रमोहन पुत्र नारायण उर्फ ननछा
2. आनन्द पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोनिया देवी
3. भावेश पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोनिया देवी
4. रोशन पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोनिया देवी
5. सोनिया देवी पत्नी अर्जुन

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. रामस्वरूप बैरवा पुत्र पांचूराम बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम मुहानातहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक सांगानेर–प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतिम डिक्री–आदेश

वादी ने वाद पत्र बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादी के वाद में दिनांक 01.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 164 पुराना 262 के खसरा नम्बर 31 रकबा 0.3780 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3780 है0 का तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 12.08.2024 से पूर्व पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भु0अ0 / कुर्रेजात / 2024 / 10236 दिनॉक 26.12.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वकील उभयपक्षो की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी द्वरा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ती प्रस्तूत नही की गयी है।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन करने पर व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 164 पुराना 262 के खसरा नम्बर 31 रकबा 0.3780 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3780 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

		राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	164	नाबा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 1/36 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नाबा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 1/8 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र नारायण हिस्सा 1/20 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र ननछा हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र नारायण हिस्सा 1/45 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नाबा0 भावेश पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 1/8 जाति बैरवा सा.देह खातेदार, राजकुमार बैरवा पुत्र लादूराम बैरवा हिस्सा 1/30 जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 26/41, सुभाष कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर खतेदार, रामस्वरूप बैरवा पुत्र पॉचूराम बैरवा हिस्सा 14/45 जाति बैरवा निवासी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार, नाबा. रोशन पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 1/36 जाति बेरवा सा. देह खातेदार, सोनिया देवी पत्नि अर्जून हिस्सा 1/36 जाति बेरवा सा.देह खातेदार	31	0.3780	बारानी 3	1.40
		कुल किता	1	0.3780 है0		1.40

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्र.स.	किस्म	प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	ब0 3	नाबा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 5/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नाबा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 45/352 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र नारायण हिस्सा 9/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र ननछा हिस्सा 45/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नाबा0 भावेश पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 45/352 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, राजकुमार बैरवा पुत्र लादूराम बैरवा हिस्सा 3/88 जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 26/41, सुभाष कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर खातेदार, रामस्वरूप बैरवा पुत्र पॉचूराम बैरवा हिस्सा 7/22 जाति बैरवा निवासी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार, नाबा. रोशन पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 5/176 जाति बेरवा सा. देह खातेदार, सोनिया देवी पत्नि अर्जून हिस्सा 5/176 जाति बेरवा सा. देह खातेदार	31/मि	03696		पीला
		कुल किता	1	0.3696 है0		
2.	ब0 3	प्रहलाद पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार,	31/मि	0.0084		पिंक
		कुल किता	1	0.0084 है0		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। मुताबिक निर्णय पृथक से अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सां.)

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 48 / 2024

पारित डिक्री दिनांक : 24.03.2025

उनवान

प्रहलाद पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिलाजयपुर।

–वादी

बनाम

चन्द्रमोहन पुत्र नारायण उर्फ ननछा

आनन्द पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोनिया देवी

भावेश पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोनिया देवी

रोशन पुत्र अर्जुन नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोनिया देवी

सोनिया देवी पत्नी अर्जुन

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

रामस्वरूप बैरवा पुत्र पांचूराम बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम मुहानातहसील सांगानेर जिला जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

उप पंजीयक सांगानेर–प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर तीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण नजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वह कि वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा वार क्षेत्र शिकारपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला यपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 164 पुराना 262 के खसरा नम्बर 31 कबा 0.3780 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3780 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक जस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

		राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
.सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	164	नावा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 1/36 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नावा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 1/8 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र नारायण हिस्सा 1/20 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र ननछा हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र नारायण हिस्सा 1/45 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नावा0 भावेश पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी	31	0.3780	बारानी 3	1.40

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

		हिस्सा 1/8 जाति बैरवा सा.देह खातेदार, राजकुमार बैरवा पुत्र लादूराम बैरवा हिस्सा 1/30 जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 26/41, सुभाष कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर खातेदार, रामस्वरूप बैरवा पुत्र पॉचूराम बैरवा हिस्सा 14/45 जाति बैरवा निवासी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार, नाबा. रोशन पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 1/36 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, सोनिया देवी पत्नि अर्जून हिस्सा 1/36 जाति बैरवा सा.देह खातेदार				
		कुल किता	1	0.3780 है0		1.40

		प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बा0 3	नाबा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 5/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नाबा. आनन्द पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 45/352 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र नारायण हिस्सा 9/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, चन्द्रमोहन पुत्र ननछा हिस्सा 45/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, नाबा0 भावेश पुत्र अर्जून संरक्षक सरपरस्त सोन्यादेवी हिस्सा 45/352 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, राजकुमार बैरवा पुत्र लादूराम बैरवा हिस्सा 3/88 जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 26/41, सुभाष कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर खातेदार, रामस्वरूप बैरवा पुत्र पॉचूराम बैरवा हिस्सा 7/22 जाति बैरवा निवासी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार, नाबा. रोशन पुत्र अर्जून संरक्षक माता सोनिया देवी हिस्सा 5/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार, सोनिया देवी पत्नि अर्जून हिस्सा 5/176 जाति बैरवा सा. देह खातेदार	31/मि	03696		पीला
		कुल किता	1	0.3696 है0		
2.	ब0 3	प्रहलाद पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार,	31/मि	0.0084		पिंक
		कुल किता	1	0.0084 है0		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का समा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात र्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु सीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की ारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.03.2025 को जारी ी गई।

मुहर

दस्तखत .....

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ोहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

ोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया ाया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)